न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डीओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 71/2016 वाद

श्रीमती मोहनीबाई बनाम पीथा वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
29/8/24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित है ।अधिवक्ता वादीया की बहस सुनी गई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा उनके न्यायालय प्रकरण संख्या 14/2012 अपील अनवान् श्रीमती रम्भाबाई वगैराह बनाम श्रीमती मोहनीबाई वगैराह मे निर्णय दिनांक 26.07.2016 से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 52/2010 वाद मे निर्णय व डिकी दिनांक 24.06.2011 को अपास्त कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो का युक्ति–युक्त व तर्क संगत विश्लेषण को ध्यान मे रखते हुए पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण मे तनकियात कायम कर विधि के आलोक मे अजसरेनव निर्णय पारित करे व पक्षकारान् अधिनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.09.2016 को उपस्थित रहे । प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण मे वादीया स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादीसंख्या 1 से लेकर 9 तक को न्यायालय समय मे बार–बार आवाजे लगवाई गई परन्तु काई उपस्थित नही हुए जिससे इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस मे बताया कि श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 26.07.2016 मे पक्षकारान् को अधिनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.09.2016को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे सम्मन पेश करने की आवश्यकता नही है क्योंकि सभी पक्षकारान् श्रीमान् भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के निर्णय से पक्ष रखने हेतु पाबन्द व निर्देशित थे । एवं अपनी बहस मे यह भी बताया कि प्रतिवादीगण स्वय या उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होता है तो तनकियात कायम न होकर वाद मे चाही गई दाद पर सुनवाई होकर निर्णय पारित किया जाना होता है । साथ ही अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमिया मौरूसी भूमिया है मौरूसी भूमियो मे सभी सन्तानो का हक अधिकार होता है । मौरूसी भूमियो को विकय हस्तान्तरण इत्यादि के द्वारा किसी भी सन्तान को उसके हक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है । अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियो प्रतिवादी संख्या एक को विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से मे 1/8 हिस्से की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा करवाई जाकर उसी अनुसार डिकी पारित की जावे व राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराया जावे ।. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर द्वारा उनके न्यायालय प्रकरण संख्या 14/2012 अपील अनवान् श्रीमती रम्भाबाई वगैराह बनाम श्रीमती मोहनीबाई वगैराह मे निर्णय दिनांक 26.07.2016 मे पक्षकारान् को इस न्यायालय मे दिनांक 30.09.2016 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया जिससे अर्थात पक्षकारान् को इस न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु पूर्ण जानकारी होने से सम्मन पुनः पेश करने की आवश्यकता नही है अधिवक्ता वादीया का यह कथन न्यायोचित है । साथ ही अधिवक्ता	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

वादीया का यह कथन भी न्यायोचित है कि प्रतिवादीगण की ओर कोई उपस्थित नही होने से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही कर वाद मे चाही गई दाद पर ही सुनवाई की जानी होती है । प्रतिवादी संख्या 6 नाबालिग है जिसकी संरक्षक माता राडकी है । प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8 स्वयं ने श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं [illegible] राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे वादग्रस्त भूमिया मौरूसी भूमिया होना बताया है । वादीया द्वारा भी वादग्रस्त भूमिया मौरूसी भूमिया होने से उसमे अपने एक हिस्से की भूमियो के लिये यह घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है । वादग्रस्त भूमिया भज्जा के समय की थी जिनको वादीया के पिता पीथा को अकेले को अपने स्तर पर डिस्पोजल/निष्पादन का अधिकार नही है । वादीया के पिता पीथा के कुल 7 सन्ताने जिनमे 5 लडकिया व 2 लडके है एक लडकी सतीबाई की मृत्यु होने से उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 है व एक पुत्र अमरसिंह की मृत्यु होने से उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है वादग्रस्त भूमिया मौरूसी भूमिया होने से वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 पीथा पिता भजा खरवड के नाम दर्ज हिस्से मे से 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है ।

अतः वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम देवडो की भागल पटवार मण्डल कणुजा की जमाबन्दी सम्वत् 2066–69के खाता संख्या 62 नया व पुराना 61 कुल किता 14 रकबा 3.11.10 बीघा एवं ग्राम रामावतो की भागल पटवार मण्डल कणुजा की जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 के खाता संख्या नया 174 पुराना 176 कुल किता–72 रकबा 35.01.10 बीघा भूमियो मे प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से प्राप्त होने वाले हिस्से मे से 1/8 हिस्सा वादीया को प्राप्त होने से वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तदनुसार डिकी पर्चा जारी किया गया राजस्व रेकार्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ को डिकी की प्रमाणित प्रति भेजी जावें । तहसीलदार कुम्भलगढ एक माह मे पालना करा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला–राजसमन्द